**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2543**
**दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**साइबर समन्वय केन्द्र**

**†2543. डॉ॰ एम॰के॰ विष्णु प्रसादः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या साइबर अपराध या साइबर सुरक्षा के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में साइबर समन्वय केन्द्र की वेबसाइट हाल ही में शुरू की गई थी;**
**(ख) साइबर समन्वय केन्द्र के समग्र उद्देश्य तथा कार्य क्या हैं और यह साइबर से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए किस हद तक प्रभावी है; और**
**(ग) क्या वेबसाइटों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को पुलिस संबंधी विभिन्न सेवाएं और सुरक्षा सलाह प्रदान करने के लिए ऐप विकसित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)**

**(क):** विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए), सरकारी संगठनों और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच सभी साइबर संबंधी मामलों को साझा करने के लिए वन-स्टॉप प्लेटफार्म के रूप में साइबर समन्वय केंद्र (साई-कोर्ड) पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 22 दिसंबर, 2018 को डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था।

**(ख):** साइबर समन्वय केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य स्टेकहोल्डरों को एक प्लेटफार्म प्रदान करना है ताकि साइबर अपराध का निराकरण करने और साइबर संबंधी अन्य मुद्दों जैसे कि केस स्टडी/अनुसंधान निष्कर्षों को साझा करने, अनुभव साझा करने, अनुसंधान समस्याओं का प्रतिपादन करने, जटिल साइबर मुद्दों का समाधान ढूँढने आदि की दिशा में वे अपने प्रयासों के बीच पारस्परिक सहयोग और समन्वय स्थापित कर सकें। साइबर संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए साइबर समन्वय केंद्र एक प्रभावशाली प्लेटफार्म है।

**(ग):** गृह मंत्रालय साइबर से संबंधित मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर परामर्शी पत्र जारी करता है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय द्वारा ट्विटर हैंडल @साइबर दोस्त, एफएम रेडियो और एसएमएस के माध्यम से सुरक्षा संबंधी परामर्श/संदेश भी जारी किए जाते हैं।

******